न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 185 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. कृष्ण गोदपुत्र सुरताराम उम्र 17 वर्ष नाबालिक जरिये वलिया प्राकृतिक माता श्रीमती सुन्दर पत्नी मालाराम जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (राज)	बनाम 1.दानाराम पुत्र गणेशाराम(विलोपित) 2.हाजाराम पुत्र डामराराम के का.मु. 2/1मनराराम पुत्र हाजाराम 2/2पांचाराम पुत्र हाजाराम 2/3वीरमाराम पुत्र हाजाराम 2/4रमेश कुमार पुत्र हाजाराम 2/5दलुदेवी पत्नी हाजाराम 3.मालाराम पुत्र डामराराम के का.मु. 3/1मदन पुत्र मालाराम 3/2सुन्दर पत्नी मालाराम 4.करमीराम पुत्र डामराराम 5.मालाराम पुत्र पूराराम 6.भगाराम पुत्र भादाराम 7.भानाराम पुत्र भादाराम 8.बाबुलाल पुत्र भादाराम 9.केसी पत्नी भादाराम जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 291/2007 बअनवान कृष्ण बनाम मानाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र आचार्य रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 26.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी द्वारा इस आशय का वाद पेश किया कि पैतृक खातेदारी भूमि मौजा लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 608, 92,509 व 558 कुल रकबा 84 बीघा की अवस्थित है। पक्षकारान मुतवफी गणेशा के वारीसान है। गणेशा के 05 पुत्र – स्व. मानाराम, उतरदाता संख्या 02 दाना, अपीलांट के गोदपिता सुरता, उतरदाता संख्या 05 से 09 के पूर्व पूरूष पूराराम थे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जिनके नाम से वक्त सेटलमेंट बंदोबस्त अपीलाधीन आराजी की खातेदारी दर्ज हुई थी। अपीलाधीन आराजी में 1/5 हिस्सा अपीलांट है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के वाद का किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। उनके द्वारा जबाव पेश नहीं किया गया न ही साक्ष्य पेश की गई। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद विधि विरूद्ध खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकी कायम किये निर्णय पारित किया गया। आदेश 14 नियम 01 सी पी सी के तहत तनकी कायम करना आज्ञात्मक प्रावधान है। अपीलांट के द्वारा अपना वाद साबित करने हेतु साक्ष्य में गवाहान पेश किये गये। अपीलांटगण के दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य जिससे अपीलांटगण का वाद भली भांति साबित होता है। अपीलांट कृष्ण मृतक खातेदार सुरता का गोद पुत्र होने से उसका प्रथम वर्ग का वारीस है। अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के वाद का किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। उनके द्वारा जबाव पेश नहीं किया गया न ही साक्ष्य पेश की गई। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद विधि विरूद्ध खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकी कायम किये निर्णय पारित किया गया। आदेश 14 नियम 01 सी पी सी के तहत तनकी कायम करना आज्ञात्मक प्रावधान है। अपीलांट के द्वारा अपना वाद साबित करने हेतु साक्ष्य में गवाहन पेश किया गया। अपीलांटगण के दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य जिससे अपीलांटगण का वाद भली भांति साबित होता है। अपीलांट कृष्ण मृतक खातेदार सुरता का गोद पुत्र होने से उसका प्रथम वर्ग का वारीस है। अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि सुरता ने अपने जीवनकाल में कृष्ण या अन्य किसी को गोद नहीं लिया था। वर्तमान में भूमि की बढी हुई कीमतों की वजह से अपीलांट/वादी फर्जी गोद पुत्र बता कर उसके हिस्से की भूमि

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपने नाम करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अभी 15 – 20 दिन पूर्व जब उतरदाता संख्या 03 द्वारा भूमि का बैचान करने हेतु व्यक्तियों का मौका दिखाया गया तब मना करने पर उतरदाता द्वारा कथन किया गया कि आपके विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब ज्ञान हुआ कि एस डी ओ कोर्ट का स्थानान्तरण गुड़ामालानी हो गया है आपकी पत्रावली गुड़ामालानी है। गुड़ामालानी आकर नया अधिवक्ता नियुक्त कर पत्रावली की जानकारी चाही सर्वप्रथम जानकारी में आया की दावा खारिज हो गया है। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील तकरीबन 05 वर्ष बाद पेश की है जिसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन की व्याख्या स्पष्ट करनी होती है। अपीलांट/वादी को सर्वप्रथम किस तिथि को जानकारी हुई इसका उल्लेख धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में उल्लेख नहीं किया है। न्यायालय को अंधेरे में रख कर तथा वास्तविका से परे रखते हुए वास्तविक तिथि का ज्ञान नहीं हो इसलिए अपील के साथ पेश निर्णय एवं अन्य दस्तावेजों की फोटो प्रति पेश की गई है जो प्रमाणित नहीं है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण तकरीबन 05 वर्ष बाद पेश किया गया है। जो एक सुदीर्घ अवधि के बाद पेश किया है जिसका कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया है। वास्तविक ज्ञान की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलांट न्यायालय में साफ एवं स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में मैरिट पर भी बहस सुनने से गुणावगुण पर निर्णय पारित करने उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए मूलतः यह कथन करके आया है। कि वह स्व. सुरताराम का गोद पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है जो यह साबित कर सके कि अपीलांट/वादी सुरताराम का गोद पुत्र है। वादी/अपीलांट के गवाहों के कथनों में गोद लेने की घटना की तिथि एवं वर्ष मौजूद व्यक्तियों का विवरण, रस्म अदायगी आदि के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी/अपीलांट के कथनों पर विश्वास करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है। इसी तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने भी दृष्टिगत रखते हुए बाद विवेचन जो अपीलाधीन निर्णय दिया है उसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश यथावत रखने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 291/2007 बअनवान कृष्ण बनाम मानाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2012 को यथावत रखा जाता है।

26/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner